राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1155/2013/बून्दी
अपील संख्या 1156/2013/बून्दी

मैसर्स जी.पी.सैवाल प्रोटीन्स एण्ड इंवेस्टमेन्ट प्रा.लि.,
रामगंज बालाजी, बूंदी। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 01 एवं 02/आरएसटी/12–13/बून्दी में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 55 एवं 58 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 31.01.2008 के जरिये कायम की गयी कर राशि (वर्ष 2004–05 के लिए) रूपये 4,62,865/– 11 माह विलम्ब से जमा करवाने के लिए उस पर ब्याज राशि रूपये 50,915/– एवं कर राशि (वर्ष 2003–04 के लिए) रूपये 28,29,934/– 11 माह विलम्ब से जमा करवाने के लिए उस पर ब्याज राशि रूपये 3,11,292/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है।

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि **अपील संख्या 1155/2013** के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2004–05 के लिए कर निर्धारण दिनांक 31.01.2008 को किया जाकर कर राशि रूपये 4,62,865/– का आरोपण किया एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि को 11 माह विलम्ब से दिनांक 02.09.2009 को जमा करवाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 21.03.2012 को ब्याज आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी पर ब्याज राशि रूपये 50,915/– का आरोपण

लगातार.....2

कर दिया। **अपील संख्या 1156/2013** के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2003–04 के लिए कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2008 को किया जाकर कर राशि रूपये 28,29,934/– का आरोपण किया एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि में से राशि रूपये 25,00,000/– को 11 माह विलम्ब से दिनांक 31.08.2009 को एवं शेष राशि रूपये 3,29,934/– को 11 माह विलम्ब से दिनांक 02.09.2009 को जमा करवाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 21.03.2012 को ब्याज आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी पर ब्याज राशि रूपये 3,11,292/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के ब्याज के बिन्दु पर पारित आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने संयुक्त आदेश दिनांक 08.04.2013 द्वारा दोनों अपीलों को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर ब्याज का आरोपण ब्याज आदेश दिनांक 21.03.2012 द्वारा किया गया, जबकि उनके द्वारा कर राशि का भुगतान दिनांक 31.08.2009 एवं 02.09.2009 को करवा दिया गया था। अधिनियम की धारा 66(2)(बी) के अनुसार मांग राशि जमा से 2 वर्ष के अन्दर ब्याज आरोपित किया जा सकता है, इस प्रकार सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने ब्याज आदेश दिनांक 21.03.2012 को पारित किया, जो कि अधिनियम की धारा 66(2)(बी) के तहत् म्याद के अन्दर ही था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण दिनांक 31.01.2008 को पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में व्यवसायी ने मांग राशियॉ दिनांक 31.08.2009 एवं 02.09.2009 को जमा करवायी गई। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने ब्याज आदेश दिनांक 21.03.2012 पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी पर ब्याज का आरोपण कर दिया। हस्तगत प्रकरणों में विवाद

लगातार.....3

का मूल बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर ब्याज का आरोपण निर्धारित अवधि में किया गया है अथवा नहीं? इसके लिए सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 66(2)(बी) का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा। अधिनियम की धारा 66(2)(बी) के अनुसार :–

66. Time-limit for imposition of penalty or levy of interest

(1) .....

(2) (a) .....,

(b) No-order for levy of interest in the case of recovery of demand shall be passed after expiry of two years from the end of the year in which such demand in full is recovered or adjusted or partly recovered and Partly adjusted.

अधिनियम की धारा 66(2)(बी) से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में जमा करवायी गई कर राशि के समाप्ति के 2 वर्ष के अन्दर ही ब्याज का आरोपण किया जा सकता है, एवं हस्तगत प्रकरणों अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर राशि का भुगतान दिनांक 31.08.2009 एवं 02.09.2009 को किया गया था, एवं उसकी वर्ष समाप्ति तिथि 31.03.2010 है। इस प्रकार व्यवसायी ने जिस वर्ष अर्थात वर्ष 2009–10 में उक्त बकाया मांग जमा कराई है। जिसकी समाप्ति मार्च 2010 में होती है। अतः मार्च 2010 से 2 वर्ष के भीतर ब्याज का आरोपण किया जा सकता था, जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ब्याज का आरोपण दिनांक 21.03.2012 को किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने ब्याज आदेश दिनांक 21.03.2012 को पारित किया गया, जो कि 2 वर्ष के अन्दर समयावधि में ही था। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य